उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-2

संख्या-46/2022/1605/दो-2-2022-19/2(52)/2003-टी0सी0

लखनऊ: दिनांक: 15 दिसम्बर,2022

आदेश

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सिविल(कार्यकारी शाखा) सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी जनवरी,2023 से दिसम्बर,2023 (जिनकी जन्मतिथि 02.01.1963 से 01.01.1964 के मध्य है) तक की अवधि में 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित तिथि को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे :-

क्र0 सं0	अधिकारियों का नाम व आवंटन वर्ष (सर्वश्री/ श्रीमती)	पद नाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5
1.	सत्येन्द्र कुमार सिंह-12	अपर जिलाधिकारी(भू0अ0),कानपुर नगर।	10-01-1963	31-01-2023
2.	सुधीर कुमार रूंगटा-06	उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।	05-01-1963	31-01-2023
3.	राम सेवक द्विवेदी-06	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), शाहजहॉपुर	25-01-1963	31-01-2023
4.	लव कुमार सिंह-14	कमाण्डेन्ट नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।	23-01-1963	31-01-2023
5.	अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव-07	संयुक्त आवास आयुक्त,आवास विकास परिषद,लखनऊ।	09-02-1963	28-02-2023
6.	राजेश कुमार-।।।-07	अपर जिलाधिकारी(वि/रा), बलिया।	05-03-1963	31-03-2023
6.	सुनील कुमार शुक्ला-12	अपर आयुक्त,अयोध्या मण्डल, अयोध्या।	07-03-1963	31-03-2023
8.	अंजनी कुमार सिंह-12	अपर जिलाधिकारी(नगर),आगरा।	31-03-1963	31-03-2023
9.	प्रवीना-07	अपर आयुक्त,मेरठ मण्डल,मेरठ।	01-06-1963	31-05-2023
10.	दिलीप कुमार त्रिगुणायत-09	उप निदेशक,मण्डली परिषद, लखनऊ।	05-05-1963	31-05-2023
11.	उदय सिंह-99	रजिस्ट्रार,अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्व-विद्यालय, लखनऊ	01-07-1963	30-06-2023
12.	दिवाकर सिंह-07	अपर जिलाधिकारी(नगर)मेरठ।	03-06-1963	30-06-2023
13.	अभय कुमार मिश्रा-12	अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),संत कबीर नगर।	01-07-1963	30-06-2023
14.	देवी दयाल-12	अपर जिलाधिकारी(वि/रा), कुशीनगर।	10-06-1963	30-06-2023
15.	गुरू प्रसाद-07	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, गोरखपुर।	03-07-1963	31-07-2023
16.	पुष्कर श्रीवास्तव-07	सदस्य, उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण, लखनऊ।	04-07-1963	31-07-2023
17.	हंस राज यादव-09	अपर आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल,आजमगढ़।	25-07-1963	31-07-2023
18.	नागेन्द्र कुमार सिंह-09	अपर जिलाधिकारी(वि/रा), देवरिया।	23-07-1963	31-07-2023

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

19.	हरीशंकर लाल शुक्ला-12	अपर जिलाधिकारी(न्यायिक), सीतापुर।	04-07-1963	31-07-2023
20.	बदलू प्रसाद-12	अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), सुल्तानपुर।	03-07-1963	31-07-2023
21.	अरूण कुमार सिंह-।।-12	मुख्य राजस्व अधिकारी,वाराणसी।	03-07-1963	31-07-2023
22.	उमेश कुमार मिश्रा-12	अपर जिलाधिकारी (वि/रा), चन्दौली।	26-07-1963	31-07-2023
23.	**मोती लाल यादव-15**	अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), जालौन।	05-07-1963	31-07-2023
24.	अनिल कुमार मिश्रा-।।-09	अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), आजमगढ़।	20-08-1963	31-08-2023
25.	प्रभा कान्त अवस्थी-12	अपर जिलाधिकारी(भू/अ),अयोध्या।	17-08-1963	31-08-2023
26.	युगराज सिंह-12	अपर जिलाधिकारी(वि/रा), मुरादाबाद।	02-08-1963	31-08-2023
27.	राजेन्द्र सिंह सेंगर-07	अपर आयुक्त,वाराणसी मण्डल, वाराणसी।	02-09-1963	30-09-2023
28.	रश्मि सिंह-10	उप निदेशक,स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।	30-09-1963	30-09-2023
29.	जयचन्द्र पाण्डेय-12	अपर जिलाधिकारी(वि/रा), कौशाम्बी।	01-10-1963	30-09-2023
30.	भानु प्रताप सिंह-12	अपर जिलाधिकारी(वि/रा),मऊ।	18-09-1963	30-09-2023
31.	रमेश चन्द्र-।।-09	अपर जिलाधिकारी(वि/रा),हमीरपुर।	28-10-1963	31-10-2023
32.	जगदम्बा प्रसाद सिंह-12	मुख्य राजस्व अधिकारी, आजमगढ़।	15-10-1963	31-10-2023
33.	जवाहर लाल श्रीवास्तव-12	अपर जिलाधिकारी(ना/आ), वाराणसी।	14-11-1963	30-11-2023
34.	**अब्दुल बासित-15**	अपर जिलाधिकारी(न्यायिक), औरैया।	07-11-1963	30-11-2023
35.	नन्दलाल सिंह-06	संयुक्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, लखनऊ।	01-01-1964	31-12-2023
36.	अमृत लाल बिन्द-09	मुख्य राजस्व अधिकारी,देवरिया।	25-12-1963	31-12-2023
37.	श्याम अवध चौहान-14	अपर जिलाधिकारी(भू/अ), गाजियाबाद।	01-01-1964	31-12-2023

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।
2- निदेशक, पेंशन निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक,सामूहिक बीमा निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।
4- निम्ननिलिखित को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने जनपद/विभाग में तैनात संबंधित अधिकारियों का सेवानिवृत्ति की तिथि से अवगत कराने तथा उक्त अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व पॉच वर्षो में, यदि वे अन्य जनपदों में तैनात रहे हैं, तो कृपया संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश देने का कष्ट करें कि वे संबंधित जनपदों में अपने विगत पॉच वर्षो की अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करके शासन को उपलब्ध करायें:-

(क) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद,उ0प्र0 लखनऊ।
(ख) अध्यक्ष, वक्फ न्यायाधिकरण, लखनऊ।
(ग) कुलपति,अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्व-विद्यालय,लखनऊ।
(घ) निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ड.) निदेशक,मण्डी परिषद,उ0प्र0 लखनऊ।

(च) **मण्डलायुक्त-**अयोध्या, मेरठ आजमगढ़, वाराणसी।

(छ) **जिलाधिकारी**-शाहजहॉपुर, बलिया, आगरा, मेरठ,संत कबीर नगर, कुशीनगर, देवरिया, सीतापुर सुल्तानपुर, वाराणसी, चन्दौली, जालौन, आजमगढ़,अयोध्या, मुरादाबाद, हापुड़ मऊ, हमीरपुर, औरैया, गाजियाबाद।

(ज) आयुक्त,आवास विकास परिषद,उ0प्र0 लखनऊ।

(झ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी,गीडा,गोरखपुर ।

(ञ) निदेशक,नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान,लखनऊ।

5- **विशेष सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी, राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन / निदेशक, राज्य सम्पत्ति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि यदि उपरोक्त अधिकारियों में से किसी पर आवासीय किराया अथवा अन्य देय बकाया हो तो उसकी वसूली करके समयान्तर्गत अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

6- उ0प्र0 सचिवालय पुस्तकालय एवं प्रलेखीकरण केन्द्र/विधि परामर्शी पुस्तकाल/विधान सभा सचिवालय पुस्तकाल को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि यदि उपरोक्त अधिकारियों में से किसी अधिकारी पर पुस्तकों का कोई अवशेष देय हो तो उसकी वसूली करके समयान्तर्गत अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

7- संबंधित अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व समस्त शासकीय देयों का भुगतान सुनिश्चित करें और सेवानिवृत्ति से 05 वर्ष पूर्व की तैनाती का अदेयता प्रमाण पत्र तथा सेवानिवृत्तिक देयों से संबंधित पेंशन प्रपत्र **(03 प्रतियों में)**,जी0आई0एस0 प्रपत्र **(04 प्रतियों में),** उपार्जित अवकाश नगदीकरण आवेदन पत्र, **जी0पी0एफ0 पासबुक अदयतन प्रविष्टियों सहित फोटो प्रति प्रमाणित तथा मूलरूप में** ससमय शासन को उपलब्ध करायें तथा **वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-23/2021-सा-700/दस-2021-301(18)/2021, दिनांक 30-11-2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार ऑन लाइन सेवा पोर्टल (ईपेंशन.यू0पी0.एनआईसी.इन) पर जाकर संबंधित डी0डी0ओ0 के माध्यम से पेंशन प्रपत्रों को अपलोड कराने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यदि सेवानिवृत्ति की तिथि में कोई विसंगति हो तो शासन को तत्काल अवगत करायें।**

8- प्रबन्धक, सी0एस0आई0टॉवर, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनउ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि यदि उपरोक्त अधिकारियों में से किसी अधिकारी के ऊपर यदि कोई देय हो तो उसकी वसूली करके समयान्तर्गत अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

9- विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव, इरला चेक अनुभाग(वे0प0प्र0)उ0प्र0 शासन।

10- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-9(विविध)।

11- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-13(विविध)।

12- नियुक्ति अनुभाग-3,6 व 7

13- उपर्युक्त सूची के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले संबंधित अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया वे अपनी सेवानिवृत्ति के पूर्व या बाद वे अपना निवास स्थान का पता (पत्र व्यवहार का पता), दूरभाष नं0 तथा ईमेल नियुक्ति अनुभाग-2 को एक माह के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दें।

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।